



2026:AHC:42568

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2855/2026

ज्ञानेंद्र गौतम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कमला कांत मिश्रा, वरुण मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय ने बयान दिया है कि वह निर्देशों से पूरी तरह सुसज्जित हैं और मामले में बहस करने की स्थिति में हैं। उनका कोई जवाबी हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं है और उन्होंने आगे निवेदन किया कि रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए चरण पर ही किया जा रहा है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 29.12.2006 को 3200-85-4900 के वेतनमान में मलेरिया निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 02.01.2007 को कार्यभार ग्रहण किया। रिट याचिकाकर्ता की पुष्टि 02.01.2010 को हुई थी। 18.01.2017 को, रिट याचिकाकर्ता को 10 वर्ष पूरे होने पर शासनादेश दिनांक 04.05.2010 और 22.12.2011 के आधार पर 02.01.2017 से ग्रेड पे 2800 के साथ प्रथम ए.सी.पी. दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उन्हें शासनादेश दिनांक 05.11.2024 के आधार पर 16 वर्ष पूरे होने पर 02.11.2023 से द्वितीय ए.सी.पी. प्रदान किया गया था, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार 18.06.2025 को अपर निदेशक (मलेरिया) और वी.बी.डी. उ.प्र. जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया और उसी के आधार पर, 24.07.2025 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी द्वारा वेतन की वसूली और पुनर्निर्धारण का आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि रिट याचिकाकर्ता को ए.सी.पी. का लाभ त्रुटिपूर्ण ढंग से दिया गया था।
5. दिनांक 18.06.2025 और 24.07.2025 के आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित आदेश को इस साधारण कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता कि रिट याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और पूरी कवायद रिट याचिकाकर्ता की पीठ पीछे एकतरफा की गई है। इस संबंध में **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य; (1994) 6 SCC 154** के निर्णय पर भरोसा जताया गया है।
7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय का कहना है कि जब भी कोई त्रुटि होती है, तो नियोक्ता के लिए उसे सुधारना हमेशा खुला रहता है। हालांकि, उनके अनुसार, औचित्य की मांग है कि प्रभावित पक्षों को सुना जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मैंने बार के समक्ष दिए गए तर्कों को सुना है और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।
9. स्पष्ट रूप से, रिट याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रथम और द्वितीय ए.सी.पी. के रूप में कुछ लाभ रिट याचिकाकर्ता को दिए गए थे। हालांकि, अपर निदेशक (मलेरिया) और वेक्टर जनित रोग, उ.प्र. जवाहर भवन, लखनऊ के आदेश दिनांक 18.06.2025 और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के आधार पर पुनर्निर्धारण और वसूली का निर्देश दिया गया है। जहाँ तक 18.06.2025 के आदेश का प्रश्न है, वह रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जो रिट याचिकाकर्ता के अनुसार एकपक्षीय है और उसे तामील नहीं किया गया है। जहाँ तक 24.07.2025 के आदेश का प्रश्न है, जो कि एक परिणामी आदेश है, इसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी द्वारा जारी किया गया है, और इसमें यह प्रकट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था। **भगवान शुक्ला (उपरोक्त)** में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:—

"3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 1991 में पूर्वव्यापी प्रभाव से 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कटौती के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वेतन कम करने से पहले विभाग द्वारा उसे नोटिस तक नहीं दिया गया और कानून द्वारा ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। निष्पक्षता यह मांग करती है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका प्रभाव कर्मचारी पर नागरिक परिणामों के रूप में पड़ता हो, संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए बिना और मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिया गया आदेश (मेमोरैंडम) दिनांक 25.7.1991 निश्चित रूप से टिकने योग्य नहीं था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में त्रुटि की। न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द किया जाना उचित है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 17.9.1993 के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिए गए आदेश (मेमोरैंडम) दिनांक 25.7.1991 को रद्द करते हैं..."

9. चूंकि उक्त प्रक्रिया का अभाव है, इसलिए रिट याचिका निम्नलिखित शर्तों में तय की जा रही है:—

(क) रिट याचिकाकर्ता 13.03.2026 तक प्रतिवादी, अपर निदेशक (मलेरिया) और वेक्टर जनित रोग, उ.प्र. जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) उक्त आवेदन पर, प्रतिवादी, अपर निदेशक (मलेरिया) और वेक्टर जनित रोग, उ.प्र. जवाहर भवन, लखनऊ उसके 15 दिनों के भीतर रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे।

(ग) रिट याचिकाकर्ता उसके 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करेगा; और

(घ) तीसरे प्रतिवादी द्वारा अगले दो महीनों की अवधि के भीतर आदेश पारित किया जाएगा।

(ङ) यदि तीसरे प्रतिवादी की राय है कि मामले का निवारण किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो रिट याचिकाकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी। एक तर्कसंगत और सुसंगत आदेश पारित किया जाएगा।

(च) पुनर्निर्धारण या वसूली, पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन रहेगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(छ) इस संबंध में अगले आदेश पारित होने तक आगे कोई वसूली नहीं की जाएगी।

10. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

(विकास बुधवार, जे.)

25 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।